



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1746]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 21, 2017/ ज्येष्ठ 31, 1939

No. 1746]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 21, 2017/ JYAISTHA 31, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2017

का.आ. 1965(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 3648 (अ) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:- तालिका में, पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित 'ख' में, महाराष्ट्र के नीचे, कॉलम (1) में क्रम संख्या 2 और कॉलमों (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्-

क्रम सं०	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
"2.	अश्वमेध इंजीनियर्स एवं कंसल्टेंट्स, नाशिक पंजीकरण संख्या. 5/ डब्लू/ एफएसएसएआई/ 2014 सर्वे नं. 102, प्लॉट नं. 26, वडाला पाथर्डी रोड, इन्दिरा नगर, नाशिक - 422009, महाराष्ट्र	रासायनिक जैविक"

[फा. सं. 12015/02/2017-क्यू.ए.]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 3648(अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में उसका निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधन हुआ:

- का.आ. 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017; और
- का.आ. 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
[FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA]

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2017

S.O. 1965 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely:-

In the table, in 'B' related to WESTERN REGION, under Maharashtra, for serial number 2 in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following shall be substituted, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“2.	Ashwamedh Engineers & Consultants, Nashik Reg. No. 5/W/FSSAI/2014 Survey No. 102, Plot No. 26, Wadala Pathardi Road, Indira Nagar, Nashik-422009, Maharashtra	Chemical Biological”

[F. No. 12015/02/2017-QA]

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide notification no. S.O. 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide notification numbers:

- (i) S.O. 567 (E), dated the 20th February, 2017; and
- (ii) S.O. 1595 (E), dated the 15th May, 2017.